

प्रेस- विज्ञप्तिथाना-फूलपुरहत्या में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-**

दिनांक- 5.03.2023 को श्री राजदीप प्रजापति पुत्र स्व० संतराम प्रजापति निवासी बेलवाई थाना पवई आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि अभियुक्त प्रेमनाथ प्रजापति से वादी की बहन शैल कुमारी की शादी सन् 2012 में अमनाबाद में हुई थी। अभियुक्त प्रेमनाथ प्रजापति दिनांक 04.03.23 को बाहर से आकर अपने पत्नी के साथ मार पीट झगड़ा करना व अभियुक्तों द्वारा वादी की बहन शैल कुमारी व उसकी 05 वर्ष की बेटी माही को हत्या कर शव को जलाकर चारपाई पर रखा दिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 99/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा बाद बिबेचना धारा 201/34 भादवि की बढोत्तरी की गयी जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक फूलपुर अनिल कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 07.03.2023 को प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पंचायतनामा की रिपोर्ट की द्वितीय प्रति प्राप्त हुई जिसके अवलोकन से पाया गया है कि मृतका शैल कुमारी की मृत्यु का कारण THROATNING अंकित होने के कारण अंकित है प्रथम दृष्टया मृतका की मृत्यु के सम्बन्ध में सूचना मिली कि दिनांक 04.3.2023 को ग्राम चकअमना बाद में जो घटना हुई थी उस घटना को मृतका का पति प्रेमनाथ प्रजापति व उसका भाई 2. शोभनाथ प्रजापति पुत्रगण पुत्र स्व० रामसेवक प्रजापति व उसकी माँ 3. इसराजी पत्नी स्व० रामसेवक प्रजापति निवासी ग्राम चक अमनाबाद थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ मिलकर मृतका शैल कुमारी का गला दबाकर मार दिया गया और मृत्यु के बाद डीजल उसके ऊपर डालकर शव को उसके चारपाई पर डालकर जिस पर उसकी बेटी सो रही था दोनो को जला दिया गया। पीएम किरोट के द्वितीय प्रति के अवलोकन के उपरान्त मृत्यु का कारण THROATNING पाये जाने पर गला दबाने से पाये जाने पर अभियोग में धारा 201/34 भादवि की वृद्धि की जा रही है। मुकदमा की विवेचना धारा 302/201/34 भादवि में सम्पादित करते हुये अम्बारी चौराहे से तीनों अभियुक्तों को समय करीब 11.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा नियमानुसार माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

सम्बन्धित अभियोग- मु०अ०सं० 99/23 धारा 302/201/34 भादवि थाना फूलपुर जिला आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- प्रेमनाथ प्रजापति पुत्र स्व० रामसेवक प्रजापति ग्राम चक अमनाबाद थाना फूलपुर जिला आजमगढ़
- 2- शोभनाथ प्रजापति पुत्रगण पुत्र स्व० रामसेवक प्रजापति ग्राम चक अमनाबाद थाना फूलपुर जिला आजमगढ़
- 3- इसराजी पत्नी स्व० रामसेवक ग्राम चक अमनाबाद थाना फूलपुर जिला आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

1 प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह हे०का० कमलेश मिश्रा, का० आदेश यादव, का० शिवम सिंह थाना फूलपुर जिला आजमगढ़

थाना- महाराजगंजमारपीट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 06.03.23 को वादी मुकदमा द्वारा लिखित प्रा०पत्र दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा आने जाने वाले खड्डे पर बड़े- बड़े पत्थर रख दिये व मना करने पर विपक्षीगण मिलकर लाठी डण्डा व गडासे से लैस होकर मारे पीटे व बीच बचाव करने आये मेरी माता इन्द्रावती देवी, पिता खरभान यादव व पत्नी लीलावती देवी को भी गाली- गुप्ता देते हुए मारना पिटना जिससे वादी की माँ इन्द्रावती का गम्भीर चोट आना जिससे बेहोश हो जाना व जान से मारने की धमकी देने सम्बन्ध में मु०अ०सं० 78/23 धारा 323/504/506/308 IPC थाना स्थानीय पर पंजीकृत है।

गिरफ्तारी का विवरण -

उ०नि० रिजवान अहमद मय हमराह द्वारा आज दिनांक 07.03.2023 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विजयी यादव पुत्र छांगुर यादव निवासी सैदपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम सैदपुर से समय करीब 11.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 78/23 धारा 323/504/506/308 IPC थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मु०अ०सं० 78/23 धारा 323/504/506/308 IPC थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त - विजयी यादव पुत्र छांगुर यादव निवासी सैदपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ०नि० रिजवान अहमद, हे०का० हरेन्द्र यादव थाना महाराजगंज आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 14.02.23 को वादी मुकदमा अरविन्द यादव द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रा0पत्र दिया गया कि अभियुक्तगण 1.पुल्लुर तिवारी पुत्र जनार्दन तिवारी 2.कृष्णमुरारी तिवारी पुत्र जनार्दन तिवारी व 3.राहुल पुत्र अज्ञात निवासीगण देवनपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा वादी का वाहन रोककर 5000 रू की मांग किये तथा न देने पर जान से मारने की धमकी दिये के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 55/23 धारा 386 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक 06.03.23 को उ0नि0 माखन सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कृष्ण मुरारी तिवारी पुत्र स्व0 जनार्दन तिवारी सा0 देवनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 19.50 बजे स्थान कम्पोजिट विद्यालय देवनपुर से हिरासत पुलिस में लिया गया जिसके कब्जे से एक अदद तमन्चा 303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 55/23 धारा 386 IPC, थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 79/23 धारा 3/7/25 A. ACT थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	79/23	3/7/25 A. ACT	महाराजगंज	आजमगढ़
2.	55/23	386 भा0द0वि0	महाराजगंज	आजमगढ़
3.	283/22	308, 323, 427, 504, 506 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
4.	315/22	8/20 NDPS	महाराजगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- कृष्ण मुरारी तिवारी पुत्र स्व0 जनार्दन तिवारी सा0 देवनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी- एक अदद तमन्चा 303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 माखन सिंह मय हमराह का0 रामसरन, का0 वीरेन्द्र भारतीया थाना महाराजगंज आजमगढ़।

थाना- तरवां

मारपीट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

वादी हरिलाल प्रसाद पुत्र फकीरचन्द राम सा0 मोकलपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के भतीजे किशन कुमार को दि0 04.03.23 को खेत देखने जाने हेतु पुरानी रंजीश को लेकर ही विपक्षीगण द्वारा गाली गलौज देते हुए लात मुक्का व लाठी डन्डा से मारना पीटना जिससे वादी के भतीजे किशन कुमार को सर में चोट लग जाने के कारण मौके पर ही बेहोश हो जाना तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 जावेद अख्तर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक-07.03.2023 को उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित अभि0 रामप्यारे उर्फ मुकुन्दी पुत्र स्व0 सुखनन्दन निवासी मोकलपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को अहरौली मोड़ से समय करीब 12.50 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 52/23 धारा 308, 323, 504, 506, 34 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त 1. रामप्यारे उर्फ मुकुन्दी पुत्र स्व0 सुखनन्दन निवासी मोकलपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़

बरामदगी- दो अदद डण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह हे0का0 प्रमोद कुमार यादव व हे0का0 प्रवीण सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

थाना- रानी की सराय

छेड़खानी में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 12.02.2023 को वादी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय शिकायत किया कि व विपक्षी द्वारा प्रार्थी के भांजी के साथ स्कूल जाते समय छेड़खानी करना तथा फोन पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में दिनांक 12.02.2023 को मु0अ0सं0 33/2023 धारा

354डी/323/504/506/34 भादवि व 9जी/10 पाक्सो एक्ट भादवि बनाम (1)नीरज यादव s/o गनेश यादव निवासी दुल्लापुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ (2) राजु शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी ग्राम आजामपुर थाना कन्धरापुर (3) अरमान पुत्र ग्यासुद्दीन ग्राम खैरुद्दीनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ (4) प्रदीप यादव पुत्र अज्ञात ग्रा0 आजमपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है।

2. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक- 07.03.2023 को उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप यादव पुत्र अज्ञात ग्रा0 आजमपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ को रुदरी मोड के पास समय करीब 16.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0स0 33/2023 धारा 354डी/323/504/506/34 भादवि व 9जी/10 पाक्सो एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्त –

1. प्रदीप यादव पुत्र मुन्नालाल यादव नि0 आजमपुर थाना रानी की सराय आजमगढ़ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह थाना रानी की सराय आजमगढ़

थाना- रानी की सराय

मारपीट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 06.03.2023 को वादी श्री लोकनाथ सिंह पुत्र अभयनरायन सिंह ग्राम रुदरी, थाना- रानी की सराय, जनपद-आजमगढ़ द्वारा एक किता प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त समय करीब 2.00 बजे दिन में मेरे घर पर चढ़कर गन्दी-2 गाली गलौज देते हुए लोहे की राड से मारने पीटने लगे जिससे आवेदक तथा भाई त्रिलोकीनाथ का सर फट गया तथा आवेदक का भाई मौके पर बेहोस हो गये तथा अभियुक्त के द्वारा जाते समय जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 06.03.2023 को मु0अ0स0 57/2022 धारा 308/323/504/506 भादवि बनाम विश्वजीत पुत्र राधेश्याम सिंह नि0 रुदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

2. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक- 07.03.2023 को उ0नि0 महेश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विश्वजीत पुत्र राधेश्याम सिंह नि0 रुदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर रुदरी से समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0स0 57/2023 धारा 308/323/504/506 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. विश्वजीत पुत्र राधेश्याम सिंह नि0 रुदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 महेश सिंह मय हमराह थाना रानी की सराय आजमगढ़

थाना- बरदह

चोरी की घटना का अनावरण; चोरी के पम्पिंग सेट के उपकरण के साथ 02 चोर गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 12.02.23 को वादी श्री धर्मराज पुत्र अतारु राम राजभर ग्राम- बेलवाना ,पो0- महुँजा नेवादा थाना -बरदह , जिला -आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रा0पत्र बावत दिनांक 02.02.23 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा खुद के चक में स्थित बोरिंग पर लगा टापलैण्ड कम्पनी का 5 हार्स पावर का पुराना कम्बाइन्ड डीजल पम्पसेट चोरी कर लेने के संबंध में दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 61/23 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा सम्पादित की गई।

दिनांक 07.03.23 को उ0नि0 अमरनाथ पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि वाहन संख्या UP 45 L 8912 पैशन प्रो से दो व्यक्ति सरायमोहन की तरफ से बीच में एक बोरिया रखे आते हुए दिखायी दिये पुलिस वालो ने रोकने का प्रयास किये तो गाड़ी को घुमाकर भागना चाहे कि शक होने पर दौड़ाकर उक्त मोटर साइकिल को दोनो ब्यक्तियों से मय सीट पर लदा हुआ बोरिया सहित पकड़ लिया गया। भागने का कारण कड़ाई से पूछा गया तो बताये कि साहब इसमें चोरी का मोटर है जिसको हम दोनो ने मिलकर दिनांक 31/31.01.2023 की रात अजय कुमार सिंह लसड़ाखुर्द के ड्यूबेल घर के अन्दर से खोलकर चुरा ले गये थे जिसको आज बेचने के लिए ले जा रहे थे कि आप लोगो के द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गये ब्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम 1. विशाल पुत्र चेतन चौहान ग्राम बड़गहन थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष बताया उक्त मोटर के कागजात तलब किये गये तो दिखाने से कासिर रहे एवं बार बार अपनी गलती की मांफी मांग रहे है। जुर्म साबित होने के कारण गिरफ्तारी बताकर अन्तर्गत धारा 380 ,411भादवि में समय करीब 12.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण- बता रहे हैं कि साहब दिनांक 02.02.23 को बेलवाना से डीजल पम्पसेट चोरी किये थे जिसे जौनपुर में 5000/- रूपये में बेच दिये थे जो पैसा हम लोगो के पास से मिला है उसी डीजल पम्पसेट के बिक्री के पैसे है। शेष पैसा खर्च हो चुका है।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 42/23 धारा 380/411 भादवि थाना बरदह आजमगढ व मु0अ0सं0 61/23 धारा 380/411 भादवि थाना बरदह आजमगढ

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त

1. विशाल पुत्र चेतन चौहान ग्राम बड़गहन थाना बरदह जनपद आजमगढ
2. देवा चौहान पुत्र जितेन्द्र चौहान ग्राम बड़गहन थाना बरदह आजमगढ

बरामदगी-

- 1-एक अदद मोनो ब्लाक
- 2- माल मसरूका 1500/- रूपया नगद
- 3- एक अदद मो0सा0 UP 45 L 8912 पैशन प्रो

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

अमरनाथ पाण्डेय (उ0नि0) प्रमोद सिंह (मुख्य आरक्षी) धनंजय कुमार (आरक्षी) थाना बरदह आजमगढ